

संसदीय वाद विवाद

(भाग २-प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

३९४७

३९४८

लोक सभा

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(प्रश्न नहीं पूछे गये : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि राज्य परिषद् ने लोक सभा द्वारा १२ मार्च १९५४ को पारित मुस्लिम वक्फ विधेयक बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से पहले, मैं एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा, जिस की सूचना मैं पहले ही दे चुका हूँ, और चूंकि चुनाव कल होने जा रहे हैं, मैं संकेत

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षित करना आवश्यक नहीं। सूचना मिलते ही मैं उस की ग्राह्यता आदि की जांच के लिये भेज देता हूँ। माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात विधि और व्यवस्था की है जो राज्य का विषय है। माननीय मंत्री जांच कर के उपलब्ध सूचना यथाशीघ्र मुझे दे देंगे। सदन में उस पर चर्चा

110D

नहीं हो सकती। वह प्रेस वक्तव्य जिस पर माननीय सदस्य विश्वास कर के चल रहे हैं एक पक्षीय विवरण मात्र हैं।

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सदन को विदित है कि विगत फरवरी में फ्रांस, सं० रा० अमरीका, रूस और ब्रिटेन ने आपस में सहमत हो कर गणराज्य चीन के साथ एक ऐसे सम्मेलन के बुलाने का निश्चय किया था, जिस में सम्बन्धित अन्य राज्य भी बुलाये जायें और जो कोरिया और हिन्दचीन की समस्या पर विचार करें। इस सम्मेलन की बैठक अगले सप्ताह जैनेवा में शुरू हो रही है।

हम न तो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और न हमने हिन्दचीन में चलने वाले युद्ध में ही भाग लिया है। फिर भी हमें हिन्दचीन की समस्या में रुचि है और उस के विषय में हमें भारी चिन्ता है विशेषतः अभी हाल में इस के बारे में हुई बातों के सम्बन्ध में। हम यह भी चाहते हैं कि जैनेवा सम्मेलन बात चीत द्वारा इस प्रश्न को सुलझाये और उस में सफल हो, जिस से युद्ध की वह छाया नष्ट हो सके, जिस ने बहुत समय से हमारे पड़ोसी प्रदेशों को आच्छन्न कर रखा है और जो गहनतर और विस्तृततर होने का संकेत दे रही है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस समस्या की बुनियादी वास्तविकताओं का, अंतर्ग्रस्त राष्ट्रीय भावनाओं का और वहां की वर्तमान राजनीतिक तथा सैनिक परिस्थिति की पृष्ठभूमि का ज्ञान रचनात्मक और सफल सिद्ध हो सकने वाले समाधान के लिये आवश्यक है।

हिन्दचीन के इस संघर्ष की जड़ में सारतः उपनिवेशवाद से मोर्चा लेन वाला आन्दोलन और दमन कर के और फूट डाल कर दबाने वाले परंपरागत तरीकों से उस का निपटाया जाना है।

विदेशी हस्तक्षेपों से मामला और भी उलझ गया है। फिर भी यह मूल रूप में उपनिवेश-विरोधी तथा राष्ट्रीय संघर्ष है। इस की मान्यता तथा स्वतन्त्रता व स्वाधीनता के राष्ट्रीय भावों का समाधान और विदेशी दबाव से उन की रक्षा ही निबटारे व शान्ति का आधार बन सकते हैं। बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने तथा बड़ी बड़ी व्यूह रचना करने पर भी झगड़ा आज भी गुरीला युद्ध है। और कोई भी निश्चित या स्थाई मोर्चा नहीं है। देश प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों में विभक्त हो गया है। परन्तु उन के अपने अपने क्षेत्रों की सीमायें निश्चित नहीं हैं। बड़ी बड़ी बस्तियां तथा सीमावर्ती क्षेत्र खण्ड व जन संख्या दिन प्रति दिन अपनी राजनिष्ठा इधर से उधर बदलती हैं। युद्ध में विजय तथा पराजय होती है। स्थान लिये जाते हैं तथा पुनः लिये जाते हैं। परन्तु युद्ध वर्षोत्तर वर्ष में बढ़ती भयानकता से होता है। लाखों हिन्द-चीनी, सैनिक तथा अन्य व्यक्ति, इस के बावजूद कि वे किस ओर के हैं, मरते हैं तथा ज़ख्मी होते हैं अथवा अन्यथा दुख उठाते हैं और उन का देश बर्बाद होता है।

हिन्द चीन में साम्राज्यवाद को चुनौती का आन्दोलन १९४० में जापानियों के विरुद्ध

आरम्भ हुआ था। जापान से युद्ध के बीच वियत मिन्ह ने, जो १९५१ में स्थापित हुआ, अमरीकी तथा मित्र राष्ट्रों की सेना की सहायता की थी। अन्य राष्ट्र वादियों तथा अन्य दलों ने भी सहायता की थी। होचि मिन्ह इन सब के नेता थे। उस समय की वियट मिन्ह उद्घोषणा में 'अमरीका, रूस, ब्रिटेन, तथा चीन द्वारा जनतन्त्रीय सिद्धान्तों की रक्षा' का वर्णन किया गया था। उस में इन महान शक्तियों से यह उद्घोषणा करने को कहा गया था कि जापानी सेनाओं को देश से निकालने के पश्चात् हिन्द चीनियों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जायेगी।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त, एक अस्थायी सरकार जिस में पन्द्रह सदस्यों में से पांच साम्यवादी थे स्थापित की गई थी। साधारण राष्ट्रवादियों ने कैथोलिकों तथा अन्य व्यक्तियों ने इस का समर्थन किया था। होचि मिन्ह "वियटनाम के जनतन्त्रीय गणतन्त्र" के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिस की उद्घोषणा सितम्बर १९४५ में भी की गई थी तथा उसे उस समय की चीन सरकार ने मान्यता दी थी। ६ मार्च १९४६ को फ्रांस ने, जिस ने अब युद्ध पश्चात् हिन्द चीन पर अधिकार कर लिया है, होचि मिन्ह से एक समझौता किया। उस में फ्रांस ने वियट नाम के जनतन्त्रीय गणतन्त्र को "स्वतन्त्र राज्य के रूप में जिस की अपनी सरकार, संसद्, सेना तथा वित्त हो और जो हिन्द चीन राज्य-संघ तथा फ्रांसीसी संघ का भाग हो," मान्यता दी थी। यह प्रबन्ध अधिक समय तक नहीं चला। १९४४ में होचि मिन्ह के गणतन्त्र तथा फ्रांसीसी साम्राज्य में झगड़ा आरम्भ हुआ जो अभी तक चल रहा है। जून १९४८ में फ्रांस ने अनाम के भूतपूर्व महाराज, बाओ दाई के साथ एक समझौता किया तथा उसे वियट नाम का अध्यक्ष बना दिया। उसे उन्होंने ने

फ्रांस संघ में सम्मिलित एक राज्य माना इसी प्रकार के समझौते हिन्द चीन के दो अन्य राज्यों, लाओस तथा कम्बोडिया राज्यों के साथ फ्रांस ने किये ।

इस स्थिति में, हिन्द चीन का झगड़ा अपना वर्तमान तथा अति अधिक अशुभ रूप धारण करने लगा अर्थात् वह दो शक्ति गुटों बीच के झगड़े का प्रतिबिम्ब बना । फ्रांसीसियों को वह सहायता तथा सामग्री हिन्द चीन में युद्ध करने के लिये प्राप्त हो गई जो संयुक्त राज्य अमरीका ने फ्रांस को दी थी । यह प्रकाशित हुआ है कि दूसरी ओर वियट मिन्ह को, यद्यपि अभी तक वह यही कहता है कि युद्ध फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध है चीन के लोकतन्त्रीय संघ से सहायता प्राप्त हुई जिस की सरकार उस मान्यता को जारी रखती है जो उस के पूर्वगामी ने वियटनाम (वियट मिन्ह) के जनतन्त्रीय संघ को दी थी ।

एक हस्तक्षेप के पश्चात् दूसरा हस्तक्षेप होता रहा तथा युद्ध की भयंकरता बढ़ गई । वार्तालाप अधिक से अधिक कठिन तथा निष्फल हो गया । इस पृष्ठभूमि पर ही पिछले मासों की घटनायें हुई हैं ।

इन में से पहिली घटना बर्लिन शक्तियों का यह निश्चय है कि जेनेवा सम्मेलन में इस समस्या पर विचार किया जाये । हम ने इस सम्मेलन का स्वागत किया तथा आशा प्रकट की कि इस के फलस्वरूप हिन्द-चीन में शान्ति स्थापित होगी । इस में हमने निबटारे के लिये वार्तालाप को जारी रखने का निश्चय देखा । उस समय में ने इस सदन में दिये वक्तव्य में यह प्रार्थना करने का साहस किया था कि हिन्द चीन में एक युद्ध विराम रेखा बनाई जाये । सदन ने उस का एक मत हो कर स्वागत किया था ।

जब कि जेनेवा सम्मेलन सम्बन्धी निश्चय एक स्वागतार्थ घटना थी, किन्तु

शीघ्र ही दूसरी घटनायें हुईं जिन से हमें कुछ चिन्ता तथा आशंका हुई । इन में हैं :

(१) तुरन्त तथा ठोस बदले का तथा चीनी मुख्य भूमि पर आक्रमणों की सम्भावना का वारंवार निर्देश तथा हिन्द चीन में युद्ध के क्षेत्र तथा गति को बढ़ाने सम्बन्धी वक्तव्य ।

(२) दक्षिण पूर्वी एशिया में संयुक्त तथा सामूहिक कार्यवाही में भाग लेने के लिये पश्चिमी देशों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमरीका तथा कुछ एशियाई राज्यों को अमन्त्रण । इस के पूर्व वक्तव्य दिये गये थे जिन में दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के लिये एक प्रकार के एकतरफा 'मनरो सिद्धान्त' की बात कही गई थी ।

इस प्रकार हिन्द चीन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने तथा युद्ध का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने और उसे बढ़ाने व गम्भीर बनाने के चिह्न थे ।

भारत सरकार को बड़ा खेद तथा चिन्ता है कि ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलन के पूर्व, जो प्रत्यक्ष रूप से यह विचार कर के बुलाया गया था कि वार्तालाप होना सम्भव तथा आवश्यक है, एक उद्घोषणा की जाये जिस में विश्वास का अभाव हो, और समझौता न होने पर दंडयोजना की धमकियां हों । वार्तालाप के पहले से ही धमकियां, तिरस्कार तथा विश्वास के अभाव की उद्घोषणायें होने से वार्तालाप में बाधा पड़ती है । वे बुरे वातावरण में आरम्भ होते हैं तथा उन में यदि कोई प्रगति होती है तो श्रृंखलित प्रगति होती है ।

एक और बात जिस से हमारी आशंका अवश्य बढ़ेगी, यह है कि हिन्द चीन में युद्ध की गति बढ़ रही है तथा युद्ध सामग्री का सम्भरण भी बढ़ रहा है । बढ़े हुए सम्भरण प्रत्यक्षतः वियट मिन्ह की सहायता के लिये

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आये हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि इस से उन्हें सैनिक विजय प्राप्त करने के लिये, जिसके परिणामस्वरूप आगामी सम्मेलन उन के लिये लाभप्रद सिद्ध हो, अधिक आक्रमण करने के योग्य बनाया जाता है। फ्रांसीसी वियट नाम की ओर, संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता बढ़ा दी गई है तथा और अधिक सहायता के आश्वासन दिये गये हैं।

भारत में हमारे लिये ये घटनायें अति चिंताजनक हैं तथा शोचनीय महत्व की हैं। उन के संभाव्य परिणाम एशियाई देशों की हाल में प्राप्त की गई तथा प्रिय स्वतन्त्रता से टकराते हैं।

एशियाई देशों की स्वतन्त्रता तथा प्रभुत्व संपन्नता को बनाये रखना और औपनिवेशिक तथा विदेशी राज्य को समाप्त करना एशिया के लोगों की समृद्धि तथा विश्व शान्ति के लिये आवश्यक है।

हम एशिया में कोई विशेष स्थिति नहीं चाहते हैं और न ही हम संकुचित तथा क्षेत्रीय एशियाई प्रादेशिकता के समर्थक हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि हमारा तथा अन्य लोगों का, विशेषकर हमारे पड़ोसियों का, एक शान्ति क्षेत्र हो, और हम विश्व-खिंचाव व युद्धों में न तो भाग लें और न ही उन से सम्बद्ध हों। हमारा विश्वास है कि यह हमारे लिये आवश्यक है। इस से ही हम विश्व खिंचाव को कम करने, निःशस्त्रीकरण व विश्व शान्ति को बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।

वर्तमान घटनाओं ने हमारी आशाओं को अंधकारमय बना दिया है। वे हमारी मूल नीतियों से टकराती हैं तथा चाहती हैं कि हम किसी गुट में शामिल हो जायें।

शान्ति हमारे लिये केवल बलवती इच्छा ही नहीं है अपितु तत्कालीन आवश्यकता है।

हिन्द चीन एक एशियाई देश है तथा निकटवर्ती क्षेत्र है। उस के बड़े बड़े त्यागों के बावजूद भी, वह विदेशी हस्तक्षेप में फंस गया है तथा उस की स्वतन्त्रता की आशा अंधकारमय हो गई है। अतः हिन्द चीन की आपत्ति हम पर गहरा प्रभाव डालती है तथा हम से चाहती है कि हम इस झगड़े के झुकाव को इस के विस्तार तथा वृद्धि की ओर से हटाने तथा वह झुकाव उत्पन्न करने के लिये ठंडे हृदय से विचार करें तथा भरसक प्रयत्न करें जिस के परिणामस्वरूप झगड़े का निपटारा हो जाये :

भारत सरकार को विश्वास है कि उन के दृष्टिकोण के समस्त मतभेदों, उनके हृदय में बैठे हुए भ्रमों तथा उन के विरोधी दावों, के बावजूद भी जनेवा में एकत्रित होने वाले महान राजनीतिज्ञों तथा उन के देशवासियों का एक ही उद्देश्य है, कि युद्ध के उमड़ते तूफान को रोक दिया जाये। कुछ कठिनाइयों तथा गतिरोधों को सुलझाने में सहायता करने तथा शान्तिपूर्ण निबटारा करने में सहायता करने की अपनी हार्दिक इच्छा के कारण भारत सरकार निम्न सुझाव प्रस्तुत करने का साहस करती है :

(१) शान्ति तथा वार्तालाप का वातावरण उत्पन्न करना है। धमकियों का वातावरण जो कि विद्यमान है, हटाना है : इस दृष्टि से भारत सरकार संबंधित देशों से प्रार्थना करती है कि वे धमकियां न द। तथा युद्ध करने वाले युद्ध की गति को न बढ़ायें।

(२) युद्धविराम : इस की प्राप्ति की दृष्टि से भारत सरकार प्रस्ताव करती है :

(क) हिन्द-चीन सम्मेलन की विषय सूची में "युद्धविराम" को प्राथमिकता दी जाये;

(ख) एक युद्धविराम गुट जिस में वास्तव में लड़ने वाले हों, अर्थात् फ्रांस तथा उस से सम्बद्ध तीन राज्य तथा वियट मिन्ह

(३) स्वतन्त्रता : सम्मेलन को यह निश्चय तथा उद्घोषित करना चाहिये कि झगड़े को सुलझाने के लिये यह आवश्यक है कि हिन्द-चीन की पूर्ण स्वतन्त्रता, अर्थात् फ्रांसीसी प्रभुत्वता की समाप्ति, को फ्रांसीसी सरकार असन्दिग्ध वचन द्वारा निस्संदेह बनाये ।

(४) सम्मेलन द्वारा तत्कालीन तथा मुख्यतः सम्बद्ध दलों के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप आरम्भ किया जाना चाहिये । स्वयं ही निबटारा करने की कोशिश न कर के सम्मेलन को मुख्यतः संबंधित दलों से प्रत्यक्ष वार्तालाप करने की प्रार्थना करनी चाहिये तथा इस उद्देश्य के लिये पूर्ण सहायता देनी चाहिये । ऐसे प्रत्यक्ष वार्तालाप से हिन्द-चीन के प्रश्न को उन विषयों तक सीमित रखने में सहायता प्राप्त होगी जिन का हिन्द-चीन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । ये दल वही होंगे जो युद्ध विराम गुट के सदस्य होंगे ।

(५) तटस्थता : तटस्थता पर एक पवित्र समझौता होना चाहिये जिस में लड़ने वालों को या युद्ध के लिये सेना या युद्ध सामग्री के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता देनी की मनाही की जाये । यह समझौता सम्मेलन द्वारा कराया जाना चाहिये, जिस के संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, इंगलिस्तान तथा चीन मुख्य हस्ताक्षरकर्ता होंगे ।

संयुक्त राष्ट्र से जिसे सम्मेलन के निश्चय की सूचना दी जायेगी, हिन्द चीन में तटस्थता पर एक अभिसमय बनाने के लिये प्रार्थना की जायेगी । इस अभिरकरण में उपरोक्त समझौता तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इसे कार्यान्वित करना सम्मिलित होगा । संयुक्त राष्ट्र को अन्य देशों से इस तटस्थता सम्बन्धी अभिसमय का पालन करने की प्रार्थना करनी चाहिये ।

(६) संयुक्त राष्ट्र को सम्मेलन की प्रगति की सूचना मिलनी चाहिये । चार्टर (अधिकार-पत्र) के यथोचित अनुच्छेदों के अनुकूल पारस्परिक समझौते के लिये दंडयोजना के लिये नहीं इस की प्रतिष्ठा से लाभ उठाया जाना चाहिये ।

भारत सरकार नम्रतापूर्ण तथा इस हार्दिक इच्छा तथा आशा से ये प्रस्ताव प्रस्तुत करती है कि सारा सम्मेलन, तथा प्रत्येक सम्बद्ध दल इन पर विचार करेगा । उन का विचार है कि जिन उपायों के उन्होंने ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे व्यवहार्य हैं तथा तुरन्त ही कार्यान्वित किये जा सकते हैं ।

दूसरा विकल्प भयानक है क्या हम सब के लिये, मुख्यतः उनके लिये जो आज इस ओर या उस ओर विश्व नीति के पतवार हैं, यह समय नहीं है जब 'हिज होलीनेस दी पोप' के मतानुसार हमें "यह जानना चाहिये कि शान्ति पारस्परिक भय के उत्तेजक तथा महंगे सम्बन्धों पर आधारित नहीं हो सकती ।" मैं महसूस करता हूँ कि इन शब्दों में मैं कोई सुधार नहीं कर सकता हूँ ।

पुस्तक-प्रदान (सार्वजनिक
पुस्तकालय) विधेयक

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम०
एम० दास) : अध्यक्ष महोदय, आप की अनु-